Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
Volume-17, Issue-2, September-2023
www.researchguru.net

थारु जनजाति की सामाजिक संरचना एवं संस्कृति

रूपाली वर्मा

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, खरडीहा महाविद्यालय,गाजीपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय

सारांश

नेपाल-भारत सीमा पर शिवाशलक पववत श्रेणी के दोनों ओर समानांतर तराई-पट्टी में पट्टी में थारु जनजाति के लोग बसे हैं जिंहे थारु कहा जाता है। इनके निवास का विस्तार भारत में चांपारण से नैनीताल तक का थरूहट क्षेत्र तथा नेपाल देश में पूर्व में झापा से लेकर पचिम में कैलाली कांचनपुर तक है। थारु न तो पूरी तरह से पहाड़ी न ही पूरी तरह से मैदानी बनवासी है। ये मुख्यत: वन क्षेत्र के उस सीमांत के निवासी है जहां से मैदानी भाग आरांभ होता है। सन 1967 में थारु जनजाति को जनजाति घोषित कर तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में सम्मलित करके उन्हें सांवैधनिक दर्जा दिया गया है। इस जनजाति के अपने रीति –रिवाजों, परमपराओं, मान्यताओं, खान-पान, पहनावा, रहन-सहन, विवाह , उत्सव-त्यौहार, संस्कार , कृषि के ढंग , शिकार, पशुपालन विशिष्ट है। इनकी प्राचीन एवं पारंपरिक वेशभूषा, भोजन, धार्मिक आयोजन और सामाजिक ताना बाना इसे खूबसूरत बनाते हैं। सदियों से जंगल के बीच रहने के कारण यह लोग अब वन्यजीवन में पूरी तरह रम गए हैं।

मुख्य शब्द- थारु जनजाति, सामाजिक संरचना, विवाह, धार्मिक मान्यता

प्रस्तवाना

थारु शब्द कि उत्पत्ति 'स्थविर' से हुई है जिसका अर्थ होता है बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा/परंपरा को मानने वाला। इसके अलावा मान्यता है कि थारु अपने को राजस्थान के थार के निवासी बताते हैं। थारू समाज के लोग अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। मुगलों के आक्रमण के दौरान वहां से राजपूत महिलाएं सुरक्षा की दृष्टि से सेवकों के साथ राजस्थान से निकलकर हिमालय की तलहटी के जंगलों में आकर बस गईं। और अपने वंश को आगे बढ़ाया। इस तरह उनकी जो नस्ल तैयार हुई उसे थारू जनजाति का नाम मिला। इस जनजाति को नेपाल में मुख्य जनजाति का दर्जा दिया गया है। थारू जनजाति में चौधरी, कुसमी, महतो, दनुवार, राणा, कुमाल, कठरिया समेत अन्य उपजातियां आती हैं। थारु जनजाति की निवास स्थान की बात करे तो यह जनजाति शिवालिक या निम्न हिमालय की पर्वत शृंखला के बीच तराई क्षेत्र से संबंधित है। थारू समुदाय के लोग भारत और नेपाल दोनों देशों में पाए जाते हैं, भारतीय तराई क्षेत्र में ये अधिकाशंतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं। थारू समुदाय को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में चिह्नित किया गया है।

थारू लोग कद के छोटे, पीतवर्ण, चौड़ी मुखाकृति तथा समतल नासिका वाले होते हैं। कुछ सामाजिक विचारक इन्हें राजपूतों का वंशज मानते हैं, कुछ विचारक इनका उद्गम मध्य एशिया के मूल निवासी मंगोलों से बताते हैं तथा कुछ इन्हें भारत-नेपाल के आदिम निवासी सिद्ध करते हैं। नेपाल की सीमा से सटे गांवों में निवास करने वाली थारु जनजाति की अपनी एक विशेष संस्कृति एवं पहचान है।

सामाजिक संरचना

इनकी प्राचीन एवं पारंपरिक वेशभूषा, भोजन, धार्मिक आयोजन और सामाजिक ताना बाना इसे खूबसूरत बनाते हैं। सदियों से जंगल के बीच रहने के कारण यह लोग अब वन्यजीवन में पूरी तरह रम गए हैं। लेकिन समय के साथ कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले केवल कृषि पर निर्भर रहने वाली इस जनजाति के लोग अब समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। थारु समाज की सस्कृतिक जीवन की बात करे तो इनके रहन-सहन, बोली, भेष-भूषा सब अलग है। थारू समाज की अपनी अलग संस्कृति है। थारू पुरुष ऊंची धोती और फतुही पहनते हैं तो महिलाएं घाघरा, अंगिया और उनिया पहनती थीं। महिलाएं कपड़ों में खुद कसीदाकारी कर उसे खूबसूरत बनाती हैं घाघरा-चोली को सजाने के लिए उसमें शीशें जड़े रहते हैं। लेकिन समय के साथ इनके पहनावे में बदलाव दिखने लगा है। आधुनिकता के बहाव में थारु जनजाति भी बहने लगी है। अब आधुनिक बन गया है। हालांकि इसके बाजूद अभी थारु आधुनिकता से अपने पारंपरिक सांस्कृतिक समाज को बनाये रखने के लिए संघर्षशील है। समाज की पुरानी संस्कृति की झलक त्योहारों समेत कई महोत्सवों देखने को मिल जाती है। थारू समाज में दाल, भात, घोंगी, मछली, सुअर का मांस बहुत पसंद किया जाता है। थारु लोगों में मछली-चावल बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। जौ और जड़ी बूटियों से बनी शराब का सेवन भी करते हैं।

थारूजनजाति की धर्म की बात करें तो यह जनजाति हिंदू धर्म को मानती हैं। थारू समुदाय के लोग भगवान शिव को महादेव के रूप में पूजते हैं और वे अपने उपनाम के रूप में 'नारायण' शब्द का प्रयोग करते हैं, उनकी मान्यता है कि नारायण धूप, बारिश और फसल के प्रदाता हैं। थारू समाज में सबसे बड़ा पर्व मकर संक्रांति होता है। इस दिन से ही थारू समाज के नए वर्ष की शुरूआत होती है सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्र, तिजिया के साथ ही बड़े रविवार को चरई का त्योहार मनाया जाता है। थारू जनजाति मुख्यत: अपने ग्राम्य देवता की आराधना करती थी, परन्तु अब बाह्य समाज के सम्पर्क में

आकर वे हिन्दू देवी-देवताओं की भी पूजा करने लगे हैं। ये लोग अब शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, गणेश व लक्ष्मी की पूजा करने लगे हैं। इस समुदाय में आषाढ़ तथा सावन मास में मुख्य रूप से गृह देवी-देवताओं की पूजा होती है,

थारु समाज और महिला

महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में देखा जाय तो स्पष्ट होता है कि थारू समुदाय में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। घर से बाहर आने-जाने पर इन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता वे पंचायत के समक्ष अपनी बात रख सकती हैं। थारू महिलाओं को परिवार की चल सम्पत्ति में तो अधिकार प्राप्त हैं परन्तु उन्हें अचल सम्पत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। उत्तर भारत के हिंदू रीति-रिवाजों की अपेक्षा थारू समुदाय की महिलाओं को संपत्ति में ज़्यादा मज़बूत अधिकार प्राप्त हैं। थारू समाज मातृ सत्तात्मक समाज है। घर में महिलाओं का निर्णय ही सर्वोपरि रहता है। थारू समाज की सामाजिक प्रक्रिया बेहद मजबूत है। समाज के लोग लड़ाई, झगड़ा या किसी प्रकार के विवाद को गांव में ही पंचायत के माध्यम से निपटा लेते हैं। पंचायत के प्रधान को पधना कहते हैं। उसका निर्णय सभी को मान्य होता है। गांव में एक भलमनसा भी होता है, जो एक तरह से विपक्ष की भूमिका निभाता है। इसके अलावा हर गांव में एक भर्रा होता है, जो इंसानों से लेकर पशुओं तक का इलाज जड़ी-बूटियों के जरिए करता है। कुलदेवता को पहले भोग लगाने की प्रथा है यहां अनाज उत्पादन हो या फिर जानवर का शिकार हो, सबसे पहले अपने कुलदेवता को भोग लगाते हैं। इसके उपरांत ही भोजन करते हैं। थारू समुदाय में अच्छी महिला मित्र को संगन कहा जाता है। एक महिला मित्र दूसरी महिला मित्र के निवास स्थान पर जाती है और अपने साथ अपनी संगन यानि मित्रता के लिए कुछ उपहार ले जाती है। इसके पश्चात इनकी मित्रता को पक्का माना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में 'संगन जोड़ना' कहा जाता है। थारू विवाह में वर-वधू का विवाह कराने का उत्तरदायित्व वर के बहनोई व वधू की भाभी का होता है। वधू को हल्दी उसकी सभी भाभियाँ लगाती हैं तथा उसको तैयार करने का उत्तरदायित्व भी उसकी भाभियों का ही होता है। विवाह की रस्म पूरी होने के बाद बारात के साथ वधू के कुछ नातेदार वर के घर जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में 'धाय' (महिला) तथा 'निनहरिया' (पुरुष) कहा जाता है। इस अवसर में इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। थारू जनजाति में महिलाओं को भी विवाह-विच्छेद का अधिकार है। अगर तलाक पुरुष पक्ष द्वारा दिया जाता है तो उसे विवाह के समय दहेज में ली गयी सारी वस्तुएँ

तथा पंचायत द्वारा निर्धारित हर्जाना देना पड़ता है।

थारू जनजाति में विधवा तथा तलाकशुदा महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार है, परन्तु पुनर्विवाह की रस्म सामान्य विवाह से अलग होती है। पुनर्विवाह में न तो वधू को हल्दी लगाई जाती है और न ही उसे अग्नि के समक्ष फेरे लगवाये जाते हैं। वधू को कुश घास की चूड़ियाँ पहना दी जाती हैं। वर अपने साथ चूड़ियाँ लाता है और घास की बनी चूड़ी उतारकर अपने साथ लायी गयी चूड़ियाँ वधू को पहना देता है। इसके पश्चात् वर-वधू को बेर की झाड़ी के फेरे लगवाये जाते हैं और अंत में मंगलसूत्र पहना दिया जाता है। इस प्रकार स्त्री के पुनर्विवाह की प्रक्रिया सम्पन्न होती है।

थारू समाज के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व खेती हैं खेती के साथ-साथ ही गाय, भैंस, सुअर, बकरी व मुर्गापालन करते हैं। थारू समाज की महिलाओं का हस्तशिल्प तो पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है। थारू हस्तशिल्प को एक जिला एक उत्पाद में भी चयनित है। दुधवा टाइगर रिजर्व में आने वाले सैलानी थारू लोकनृत्य देखने और हस्तशिल्प से तैयार वस्तुओं को खरीदकर अपने घर की शोभा बनाने को लालायित रहते हैं। इस समुदाय के लोग थारू भाषा (हिंद-आर्य उपसमूह की एक भाषा) की अलग-अलग बोलियाँ और हिंदी, उर्दू तथा अवधी भाषा के भिन्न रूपों/संस्करणों का प्रयोग बोलचाल के लिये करते हैं। थारू जनजाति में सामूहिक रूप से अनेक प्रकार के लोकनृत्य किये जाते हैं। नाच व हन्ना लोकनृत्य केवल पुरुषों द्वारा तथा झिंझी लोकनृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है।

धार्मिक मत

कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार के 16 दिन बाद पड़ने वाले रविवार को धूमधाम से मनाते हैं। अपने घर में स्थापित देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। होली भी इनका खास त्योहार है। थारू जनजाति के लोग होली कई दिन तक मनाते हैं। थारू महिला-पुरुष अपने परंपरागत परिधान में जमकर नृत्य करते हैं। थारु अपने घर में उत्सव और उमंग से मछली, शराब, मीठा चावल और दही आदि बनता है। थारू समुदाय के मानक पकवानों में दो प्रमुख 'बगिया या ढिकरी' तथा घोंघी हैं। बगिया (ढिकरी) चावल के आटे का उबला हुआ एक पकवान है, जिसे चटनी या सालन के साथ खाया जाता है। वहीं घोंघी एक खाद्य घोंघा है, जिसे धनिया, मिर्च, लहसुन और प्याज से बने सालन में पकाया जाता है।

संरक्षण के प्रयास

भारत सरकार के द्वारा जनजातियों के संरक्षण के लिए कई सारे कानून एवं अधिनयम बनाएँ गए है। जैसे कि

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम, 2006, वन अधिकार अधिनियम, पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं जनजातीय उप-योजना रणनीति आदि जनजातीय समुदायों के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर केंद्रित हैं।

निष्कर्ष –

जनजातियों का भारतीय सभ्यता में एक महत्वपूर्ण स्थान है जनजातियों की अपनी भाषा, संस्कृति , सामाजिक व्यवस्था होती है। थारु जनजाति अपनी सांस्कृतिक मूल्यवान धरोहर के कारण पहचानी जानी जाती है। इनकी अपनी भाषा,संस्कृति होती है। अधिकांश ये जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते है इनका संपर्क बाहरी दुनिया से कम ही रहता है लेकिन अब समय के साथ-साथ परिस्थितियाँ बदल रही है अब जनजातियों का संपर्क बाहरी दुनियाँ भी हो रहा है, क्योंकि सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से जनजातियों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

माथुर,कृपशंकर,(1984), आदिवासी समस्या: एक मानव वैज्ञानिक विश्लेषण

प्रसाद,ललित,(1982), भारत की जनजाति संस्कृति एवं उनका अध्ययन

लाल, अँगने,(1985), थारु और उनकी ऐतिहासिकता

हुसैन, सैय्यर कामिल,(1983), जनजाति विकास के कुछ पहलू

सोनी,एल. सि.बी. खरे बी.पी. (1982). जनजाति और पारिभाषिक जटिलताएँ: एक सामाजिक विवेचन

Web link -

- *थारू जनजाति,रवि भूषण सिंह राणा,https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/tharu-tribals*
- *थारु जनजाति का सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन एवं महिलाएँ, https://www.uttaramahilapatrika.com/socio-cultural-life-and-women-of-tharu-tribe/ FEBRUARY 4, 2022.*
- *अपनी प्राचीन अनूठी संस्कृति के लिए जानी जाती है थारू जनजाति,https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/lakhimpur-kheri/tharu-tribe-is-known-for-its-ancient-unique-culture-lakhimpur-news-bly4790171153, बरेली ब्यूरो, Thu, 24 Mar 2022 .*